

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 संब्र

विनिक बार्थ सूची

सोमवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2002 (वैत्र 18, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृष्ठकल: वितरित सूची में सम्पादित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकल

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल का 38 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे।

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री राजेन्द्र भारती (विद्या), नरेन्द्र सिंह तोमर, अनुप मिश्र, सदस्य, गवालियर के डबरा शुगर मिल द्वारा कृषकों को भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री बुजमोहन बड़ीनारायण, कमल पटेल, केलारनाथ शुक्ल, सदस्य, देवास जिले के ग्राम आमला के निवासियों पर पुलिस द्वारा छूटी शिकायत पर कार्यवाही की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री प्रभुदयाल गोहलोत, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान सभिति का चतुर्थ, पंचम, षष्ठम्, सप्तम्, अष्टम् तथा नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. शासकीय विधि विवरण कार्य

(1) श्री राजा पटेलिया, राज्यमंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मध्यप्रदेश मा शारदा देवी मंदिर विधेयक, 2002 (क्रमांक 8 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 9 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री महेन्द्र औद्य, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि इन्वीर पुलिस आयुक्त विधेयक, 2002 (क्रमांक 1 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(4) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 5 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

भोपाल :
दिनांक : 7 अप्रैल, 2002

डॉ. प. के. पराम्बी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।